भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 927**
दिनांक 03 दिसम्बर, 2021 को उत्तर के लिए

**वैश्विक भूख सूचकांक 2021**

**927. डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. :**
**डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:**
**श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि:**
**श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर:**
**श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:**
**श्री एन. रेड्डप्प:**
**सुश्री एस. जोतिमणि:**
**श्री रवनीत सिंह:**
**श्री बैन्नी बेहनन:**
**डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती:**
**डॉ. ए. चेल्लाकुमार:**
**श्री के. नवासखनी:**
**श्री के. मुरलीधरन:**
**श्रीमती चिंता अनुराधा:**
**श्री मद्दीला गुरुमूर्ति:**
**श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:**
**डॉ. सुभाष रामराव भामरे:**
**श्री रतनसिंह मगनसिंह राठौर:**
**श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:**
**श्री एम.वी.वी. सत्यनारायण:**
**कुमारी गोड्डेति माधवी:**
**डॉ. मोहम्मद जावेद:**
**श्री कुलदीप राय शर्मा**
**श्री सु. थिरुनवुक्करासर:**
**श्री विजयकुमार ऊफ विजय वसंत:**
**डॉ. संजीव कुमार सिंगरी:**
**श्री के. सुधाकरन:**
**श्री तलारी रंगैय्या:**
**डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:**
**श्री टी.आर. बालू:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सरकार के ध्यान में आया है कि वैश्विक भूख सूचकांक 2021 के अनुसार कुल कुपोषित जनसंख्या के आधार पर भारत 116 देशों में से 101 वें स्थान पर है और यदि हो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने नियमित अंतराल पर महिलाओं और बच्चों के अल्पपोषण संबंधी कोई अध्ययन किया है और यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है
(ग) क्या इस रिपोर्ट के अनुसार, 2020 की तुलना में 2021 में बच्चों का पूर्ण विकास न होने और उसके अल्पविकास के प्रघटन अपरिवर्तित रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने देश में महिलाओं और बच्चों के कुपोषण के मुद्दे से निपटने और कुपोषण से होने वाली मौतों को रोकने के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक की गई प्रगति और उपलब्धि क्या है; और

(ङ) भूखमुक्त से संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने और वैश्विक भूख सूचकांक मे देश की रैंकिंग में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी** **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) : जी हां। 'वेल्टहंगरहिल्फे' और 'कंसर्न वर्ल्डवाइड' द्वारा तैयार किए गए वैश्विक भूख सूचकांक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्कोर 27.5 है और यह 116 देशों में 101वें स्थान पर है। वैश्विक भूख सूचकांक 4 संकेतकों – अल्पपोषण, बच्चों के ठिगनेपन, बच्चों के दुबलेपन और बच्चों की मृत्यु दर पर आधारित है।

वैश्विक भूख सूचकांक (जीएचआई) भारत की सही तस्वीर को नहीं दर्शाता है क्योंकि यह भूख का दोषपूर्ण मापदंड है। इसे अंकित मूल्य पर नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि यह न तो उपयुक्त है न ही किसी देश में मौजूद भूख का द्योतक है। इसके चार संकेतकों में से केवल एक संकेतक अर्थात अल्पपोषण भूख से सीधे संबंधित है। दो संकेतक अर्थात ठिगनापन और दुबलापन विभिन्न अन्य कारकों जैसे कि स्वच्छता, अनुवांशिकी, पर्यावरण तथा भूख के अलावा भोजन के उपयोग की जटिल अंत:क्रियाओं के परिणाम है जिसे जीएचआई में ठिगनेपन और दुबलेपन के कारण/परिणामी कारक के रूप में लिया गया है। साथ ही शायद ही ऐसा कोई साक्ष्य है कि चौथा संकेतक अर्थात बच्चों की मृत्यु दर भूख की वजह से है।

जीएचआई रिपोर्ट में प्रयुक्त डेटा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से लिए गए हैं, जिन्हें देश में उपलब्ध नवीनतम डेटा के अनुसार अपडेट नहीं किया गया है। 'अल्पपोषण की स्थिति' संकेतक के लिए आंकड़े प्रदान करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) ने टेलीफोन पर संचालित ओपिनियन पोल पर विश्वास किया है, जिसने सरकार द्वारा कोविड-19 के जवाब में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के 80 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न वितरित करने के आर्थिक प्रयास की पूरी तरह से उपेक्षा की है और भारत के संबंध में तीन वर्षों की अवधि यानी 2018-2020 के लिए अस्वीकार्य अनुमान पेश किए हैं। पोल में पूछे गए 4 प्रश्नों का खाद्य या आहार ऊर्जा की उपलब्धता से कोई संबंध नहीं है। तीन वर्षों की अवधि 2015-17, 2016-18, 2017-19 के लिए भारत में 'अल्पपोषण की स्थिति' पर एफएओ के अनुमान क्रमश: 14.8%, 14.5% और 14.0% हैं, जो स्पष्ट रूप से गिरावट का रूझान दर्शाते हैं। भारत ने विगत समय में खाद्य उत्पादन और आपूर्ति में किसी बड़ी चुनौती का सामना नहीं किया है, जो 'अल्पपोषण की स्थिति' को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करे। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका ने 2018-20 की तीन वर्षों की अवधि के दौरान इस संकेतक में सुधार किया है, जो यह दर्शाता है कि ये देश कोविड-19 महामारी से प्रेरित नौकरी/व्यवसाय के नुकसान और आय के स्तरों में कमी से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए हैं। यह 2020 के दौरान दो देशों में कोविड-19 के कारण देखी गई उच्च मृत्यु दरों के मद्देनज़र प्रति-संज्ञानात्मक है। इस प्रकार, एफएओ द्वारा किया गया आकलन ज़मीनी वास्तविकता को नहीं दर्शाता है और विचार करने योग्य नहीं है।

(ख) : सरकार नियमित अंतराल पर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) संचालित करती है। एनएफएचएस की जारी की गई नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश में बच्चों का ठिगनापन 38.4 प्रतिशत (एनएफएचएस-4, 2015-16) से घटकर 35.5 प्रतिशत (एनएफएचएस-5, 2019-2021) और बच्चों का दुबलापन 21.0 प्रतिशत ( एनएफएचएस-4, 2015-16) से घटकर 19.3 प्रतिशत ( एनएफएचएस-5, 2019-2021) हो गया है। इसके अलावा अल्पवजनी बच्चों का प्रतिशत 35.8 प्रतिशत (एनएफएचएस-4, 2015-16) से घटकर 32.1 प्रतिशत (एनएफएचएस-5, 2019-2021) हो गया है।

(ग) : जीएचआई 2021 रिपोर्ट के अनुसार, 2020 की तुलना में 2021 में बच्चों के दुबलेपन और ठिगनेपन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है अर्थात यह क्रमश: 17.3 प्रतिशत और 34.7 प्रतिशत पर बना हुआ है।

(घ) : सरकार देश में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए प्रत्यक्ष लक्षित उपाय के रूप में अंब्रेला समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के तहत अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम चला रही है। ये सभी योजनाएं कुपोषण से संबंधित किसी न किसी पहलू पर ध्यान देती हैं और इनमें देश में पोषण के परिणामों में सुधार लाने की क्षमता है। कुपोषण को समाप्त करने के लिए सरकार ने स्वास्थ्य, आरोग्यता तथा रोग एवं कुपोषण के प्रति प्रतिरक्षण को बढ़ावा देने वाली प्रथाओं पर बल देते हुए पोषण सामग्री, वितरण, आउटरीच और परिणामों को सुदृढ़ करने के लिए मिशन पोषण 2.0 की घोषणा की है। प्रत्यायित प्रयोगशालाओं में पोषण की गुणवत्ता में सुधार और जांच, वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने तथा सुशासन में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए कदम उठाए गए हैं। सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि पूरक पोषण की गुणवत्ता खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत निर्धारित मानकों और इसके तहत बनाए गए विनियमों के अनुरूप होनी चाहिए।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुपोषण तथा संबद्ध बीमारियों की रोकथाम के लिए आयुष की पद्धतियों के प्रयोग को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। पोषण की प्रथाओं में परंपरागत ज्ञान का उपयोग करके आहार विविधता अंतराल को पूरा करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिकाओं के विकास में मदद करने के लिए भी एक कार्यक्रम शुरू किया गया है।

कुपोषण 5 साल से कम आयु के बच्चों में मृत्यु का सीधा कारण नहीं है। तथापि यह संक्रमण के प्रति प्रतिरोधक क्षमता कम करके रुग्णता और मृत्यु में वृद्धि कर सकता है। कुपोषित बच्चों को सामान्य बच्चों की तुलना में किसी संक्रमण की संभावना अधिक होती है इसलिए भारत सरकार द्वारा केंद्रिय स्तर पर कुपोषण के कारण बच्चों की मृत्यु से संबंधित डेटा नहीं रखा जाता है। 5 साल से कम आयु के बच्चों की समग्र मृत्यु दर 2015-16 के बाद 4 साल की अवधि के दौरान 49.7 प्रतिशत से घटकर 41.9 प्रतिशत हो गई है।

(ड.) : शून्य भूख के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) 2013 लागू किया है जो लक्षित सार्वजिनक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत अत्यंत रियायती दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75 प्रतिशत तक ग्रामीण आबादी और 50 प्रतिशत तक शहरी आबादी के कवरेज का प्रावधान करता है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम 81.35 करोड़ है। पात्र परिवार, जिसमें अत्योदय अन्न योजना (एएवाई) वाले परिवार और प्राथमिकता वाले परिवार शामिल हैं, मोटे अनाज/गेहूं/चावल के लिए 1/2/3 रुपये प्रति किलो की दर से खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए हकदार हैं। प्राथमिकता वाले परिवार प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज प्राप्त करने के लिए हकदार हैं जबकि एएवाई परिवार, जो गरीबों में से सबसे गरीब परिवार हैं, प्रति माह प्रति परिवार 35 किलो अनाज प्राप्त करने के लिए हकदार हैं। वर्तमान में यह अधिनियम सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। अधिनियम के तहत कवरेज यह सुनिश्चित करने के लिए सारवान रूप से अधिक है कि समाज के सभी कमजोर एवं जरूरतमंद वर्ग इसके लाभ प्राप्त करें।

******